ओडिशा और आंध्र प्रदेश में PVTG को ST सूची में शामिल करने हेतु विधेयक

प्रिलिम्स के लिये:

संसद, अनुसूचित जनजाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG), पीएम-जनमन

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, आबादी के कमज़ोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **संसद** ने दो विधेयक पारित किये जिनका उद्देश्य आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति **(SC)** एवं अनुसूचित जनजाति **(ST)** की सूची को संशोधित करना है। लोकसभा में ये विधेयक ध्वनि मत (Voice Vote) से पारित हो गए।

- विधेयक में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और अनुसूचित जनजाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर कुछ जनजातियों को **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** तथा कुछ समुदायों को **SC सूची से ST** सूची में शामिल करने का प्रावधान है।

ध्वनि मत:

- ध्वनि मत में सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा सदन के समक्ष प्रश्न रखते हुए सदन के सदस्यों से 'हाँ' (Ayes) और 'ना' (Noes) के रूप में अपनी राय देने को कहा जाता है। ध्वनि के आधार पर बहुमत का निर्णय करते हुए अध्यक्ष/सभापति तय करते हैं कि प्रस्ताव पारित किया गया था या नहीं।

विधेयक क्या हैं और वे क्या प्रस्तावित करते हैं?

- **आंध्र प्रदेश: संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 आंध्र प्रदेश के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950** में संशोधन करना चाहता है।
  - आदेश में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में **अनुसूचित जनजाति मानी जाने वाली जनजातियों** को सूचीबद्ध किया गया है।
  - विधेयक आंध्र प्रदेश में ST की सूची में निम्नलिखित विशेष रूप से **कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** को जोड़ता है: **(i) बोंडो पोरजा, (ii) खोंड पोरजा, और (iii) कोंडा सावरस।**
- **ओडिशा: संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 ओडिशा में SC और ST की सूची को संशोधित करने के लिये संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।**
  - ओडिशा में अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये गए PVTG:
    - पौडी भुइयाँ और पौड़ी भुइयाँ (भुइयाँ जनजाति के पर्यायवाची के रूप में शामिल)।
    - चुकटिया भुंजिया (भुंजिया जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त)।
    - बॉन्डो समुदाय (बॉन्डो पोराजा की उप-जनजाति)।
    - मनकडिया समुदाय (मानकिरडिया जनजाति का पर्यायवाची)।
  - **ओडिशा की ST सूची दो नई प्रविष्टियों के साथ विस्तारित** हुई जिसमें **मुका डोरा** (मूका डोरा, नुका डोरा और नूका डोरा भी) तथा **कोंडा रेड्डी** जनजातियाँ शामिल हैं।
  - यह विधेयक ओडिशा में तमाडिया और तमुडिया समुदायों को SC की सूची के स्थान पर ST की सूची में शामिल करता है।

नोटः

- बलि में केवल ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में मौजूदा ST के पर्यायवाची शब्द, ध्वन्यात्मक ववधिताएँ और उप-जनजातियाँ शामलि की गईं तथ**भारत में PVTG की संख्या 75 पर अपरविर्ततित बनी हुई** है।

इन वधियकों का महत्त्व क्या है?

- यह संशोधन वभिन्नि क्षेत्रों में कुछ जनजातियों के साथ होने वाली व्यावहारकि वसिंगतयिों का समाधान करता है।
  - **कोंडा रेड्डी और मुका डोरा जैसे समुदायों को आंध्र प्रदेश में ST के रूप में मान्यता** दी गई थी लेकनि ओडिशा में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा।
  - ST सूची में इन समूहों को शामलि करने से लंबे समय से चली आ रही असमानताएँ दूर हो जाती हैं जसिसे**सरकारी प्रावधानों तथा सेवाओं तक समान पहुँच** सुनश्चिति होती है।
- ST के रूप में सूचीबद्ध PVTG को **शक्षिा, रोज़गार और राजनीतकि प्रतनिधित्वि में आरक्षण कोटा** तक पहुँच प्राप्त होती है।
- ST का दर्जा शैक्षणकि संस्थानों में सकारात्मक कार्रवाई सुनश्चिति करता है, जसिसे PVTG छात्रों को समान अवसर पर प्रतस्पिर्द्धा करने का अवसर मलिता है।

वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह क्या है?

- **परचिय:**
  - **PVTG** एक अनुसूचति जनजातअिथवा **अनुसूचति जनजातकि उस वर्ग का उप-वर्गीकरण** है जसि नयिमति अनुसूचति जनजातकिी तुलना में अधकि असुरक्षति माना जाता है। भारत सरकार ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लयि PVTG सूची बनाई।
    - **भारत में 75 PVTG** हैं जसिमें **सबसे अधकि 13 ओडिशा में** हैं तथा इसके बाद **12 आंध्र प्रदेश में** हैं।
  - **अनुच्छेद 342(1):** कसिी भी राज्य/केंद्रशासति प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपत(िराज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद) उस राज्य/केंद्रशासति प्रदेश में जनजातयिों/आदवािसी समुदायों/जनजातयिों/आदवािसी समुदायों के हस्सि या समूहों को अनुसूचति जनजातकि रूप में नरि्दिष्ट कर सकते हैं।
    - कसिी भी जनजात,ि आदवािसी समुदाय, या कसिी जनजातततिथा आदवािसी समुदाय के हस्सि एवं समूह को कानून के माध्यम से संसद द्वारा अनुच्छेद 342(1) के तहत जारी अधसिूचना में नरि्दिष्ट ST की सूची में शामलि कयिा जा सकता है या हटाया जा सकता है; हालाँकजिैसा कपिहले उल्लेख कयिा गया है, को छोड़कर उक्त खंड के तहत जारी अधसिूचना कसिी भी बाद की अधसिूचना से भन्नि नहीं होगी।
- **पहल:**
  - PM-जनमन योजना
  - जातीय गौरव दविस
  - वकिसति भारत संकल्प यात्रा
  - प्रधानमंत्री PVTGs मशिन

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[illegible]:

प्रश्न. भारत में वशिष्टित: असुरक्षति जनजातीय समूहों पर्टकिुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs) के बारे में नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजयि:

//1. PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में नवािस करते हैं।
2. स्थरि या कम होती जनसंख्या, PVTG स्थतिि के नरि्धारण के मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक 95 PVTGs आधकिारकि रूप से अधसूिचति हैं।
4. PVTGs की सूची में ईरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातयिाँ शामलि की गई हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4
(d) 1, 3 और 4

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख विधिक पहलें क्या हैं? (2017)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bills-to-include-pvtgs-to-st-list-in-odisha-and-ap